निविदा आवंटन हेतु प्रकिया एवं खनन/चुगान की शर्त

1– उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम–71 के अन्तर्गत अधीन गठित समिति के राज्य सरकार की ओर से सफल निविदाकारों का चयन करने ,बिना कारण बताये समस्त निविदाओं को निरस्त करने, अपात्र निविदाकारों की निविदाएं निरस्त करने, निविदा प्रपत्र एवं वित्तीय निविदाएं खोलने, निविदा की स्वीकृति के अधिकार होंगे। उक्त समिति निम्नानुसार होगी।

जिलाधिकारी	–पीठासीन अधिकारी।
राज्य सरकार द्वारा नामित वित्त सेवा के अधिकारी	–सदस्य।
जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत प्रशासनिक अधिकारी	–सदस्य।
निदेशक,भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नामित जिला स्तरीय अधिकारी	–सदस्य सचिव।

2– किसी व्यक्ति को , जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है एवं जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया है निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

3– कोपरेटिव सोसाइटी के मामलों में भी पट्टा प्राप्त करने वाली कोपरेटिव सोसाइटी में Common निदेशक नहीं होने चाहिए। कोपरेटिव सोसाइटी में उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी ही होगें तथा इस आशय का शपथ पत्र भी निविदा का आवेदन देने के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यदि पट्टा निष्पादन के उपरान्त उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी से भिन्न व्यक्ति का तथ्य सामने आता है तो उक्त पट्टा निरस्त करते हुये अग्रिम जमा धनराशि, प्रतिभूमि धनराशि जब्त कर जी जायेगी। ऐसे अपात्र कोपरेटिव सोसाइटी को आगामी पॉच(05) वर्ष हेतु काली सूची में डाल दिया जायेगा।

4– एक व्यक्ति को एक खनन पट्टा ही आवंटित किया जोयगा। समिति द्वारा निविदा खोले जाने की प्रकिया क्षेत्रों के क्षेफल के अवरोही क्रम में की जोयगी।

5– निविदा खोले जाने का समय प्रथमतः प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–I(निविदा प्रपत्र) खोला जायेगा, जिसमें असफल/अनुपयुक्त पाये जाने पर निविदाकार को निविदा समिति द्वारा असफल घोषित कर दिया जोयगा तथा ऐसी स्थिति में प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–II(वित्तीय निविदा) नहीं खोला जायेगा एवं उसे मूल रूप में बयाना धनराशि के साथ सम्पूर्ण प्रकिया समाप्त होने के उपरान्त निविदाकार को डाक द्वारा वापिस भेज दिया जायेगा।

6– निविदा खोले जाने के समय निविदाकार स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति को निविदा कक्ष में बैठने की अनुमति होगी। अधिकृत व्यक्ति को निविदा कक्ष में बैठने की अनुमति होगी। अधिकृत व्यक्ति की दशा में अधिकृत पत्र दिखाने की दशा में ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

7– समस्त निविदाकारों में से अधिकतम निविदा(निविदित मूल्य किसी भी दशा में आधार मूल्य से कम नहीं होना चाहिए) देने वाले निविदाकार का ही चयन किया जायेगा।

8– निदेशक,भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में प्राप्त पर्यावरणीय अनुमति सफल निविदाकार के पक्ष में हस्तांतरित की जायेगी। खनन पट्टा धारक की खनन संक्रियाओं पर पर्यावरणीय अनुमति हस्तान्तरण में होने वाले विलम्ब का प्रभाव नहीं पडेगा।

9– निविदा में घोषित सफल निविदाकार को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के नियम–17 में निर्धारित शुल्क सीमाबन्धन हेतु जमा किया जाना होगा।

10– वार्षिक सफल निविदित मूल्य को 12 समान किस्तों में विभाजीत कर दो किस्तें जिलाधिकारी नैनीताल के पक्ष में बंधक उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन कोपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीकृत बैंक का सावधि जमा या बैंकर्स चैक/गारण्टी खनन पट्टा विलेख से पूर्व जमा करेगा, जिसका समायोजन अन्तिम दो माह में किया जोयगा।

11– सफल निविदाकार को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह पट्टावधि में समाशोधन क्षमता को कम नहीं करेगा।

12– सफल निविदादाता द्वारा पहली किस्त पट्टा विलेख से पूर्व ट्रेजरी चालान के द्वारा जनपद नैनीताल के राजकीय कोषागार में जमा करायी जायेगी।

13– शेष किस्तों का भुगतान ट्रेजरी चालान के माध्यम से जनपद नैनीताल के राजकीय कोषागार में प्रत्येक माह की 20 तारीख तक देय होगी।

14– देय तिथि से एक दिन पूर्व या निर्धारित अवधि को राजकीय अवकाश होने की दशा में उसके पूर्व की तिथि निर्धारित होगी।

15– जमा मासिक अग्रिम किस्तों के सापेक्ष ही खनिजों की मात्रा के परिवहन हेतु प्रपत्र एम0एम0–11 निर्धारित मूल्य जमा होने के उपरान्त ही जारी किये जायेंगे। यदि खनन पट्टा धारक निर्धारित दिनांक से पूर्व एम0एम0–11 प्राप्त करना चाहता है तो आगामी भुगतान की किस्त जमा कर एम0एम0–11 निर्धारित मूल्य जमा कर प्राप्त कर सकता है।

16– खनन पट्टा धारक द्वारा खनन संक्रियायें प्रारम्भ करने के उपरान्त आगामी माह की 20 तारीख तक अग्रिम जमा किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक अग्रिम जमा न किये जाने की दशा में खान अधिकारी द्वारा 10 दिन के भीतर विलम्ब शुल्क 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा किये जाने का नोटिस जारी किया जायेगा।

यदि नोटिस के उपरान्त भी अग्रिम जमा नहीं किया जाता है ता पुनः खान अधिकारी द्वारा 07 दिन के भीतर विलम्ब शुल्क 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से नोटिस जारी किया जायेगा।

उक्त के उपरान्त भी यदि अग्रिम जमा नहीं किया जाता है जिलाधिकारी द्वारा प्रतिभूति व अग्रिम धनराशि का समायोजन करते हुए खनन पट्टा निरस्त कर दिया जोयगा।

पट्टा निरस्तीकरण के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर दूसरी निविदा प्रकिया पूर्ण होने तक अर्थात जब तक दोबारा नियमित कार्य प्रारम्भ न हो जाय तब तक की अवधि हेतु उक्त क्षेत्र को दैनिक निकासी के आधार पर स्थानीय लोगों को निकासी हेतु दिया जोयगा और उक्त क्षेत्र में हो रहे प्रतिदिन के राजस्व हानि को पूर्व में आवंटित सफल निविदाकार के द्वारा जमा समाशोधन क्षमता प्रमाण पत्र (Solvency Certificate) से वसूल किया जोयगा।

17– यदि खनन पट्टा निरस्त होने तथा अग्रिम जमा जब्त होने के उपरान्त भी कोई देयता बनती है तो खनन पट्टाधारक से पृथक भू–राजस्व की भॉति खनन राजस्व की वसूली की कार्यवाही की जायेगी और पट्टाधारक को 05 वर्ष हेतु काली सूची में डाल दिया जायेगा।

18– सफल निविदाकार द्वारा सीमाबन्धन शुल्क जमा करने के उपरान्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिकतम 15 दिन के अन्तर्गत खनन पट्टे पर धृत होने वाले सीमास्तम्भों के स्थानों को आवेदक मौके पर राजस्व विभाग एवं वन विभाग की सहायता से खान अधिकारी या खान निरीक्षक द्वारा (नियम–17) चिन्हित किया जायेगा।

19– सीमांकित एवं चिन्हित स्थान पर सफल निविदाकार द्वारा क्षेत्र में सीमा स्तम्भों का निर्धारित मानकों (नियम–17) के अनुसार खनन क्षेत्र में खड़ा किये जाने का कार्य अधिकतम 03 दिन में पूर्ण कर खान अधिकारी को लिखित रूप में सूचित किया जोयगा।

20– सीमास्तम्भों के क्षेत्र में स्थापित होने की सूचना प्राप्त होंने के उपरान्त अधिकतम 03 दिन में बिन्दु संख्या 10 में वर्णित अग्रिम जमा धनराशि के साक्ष्यों के उपरान्त कुल सफल निविदित मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी(स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा सूचित) का आगणन कर प्रपत्र एम0एम0–07 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हो, निर्धारित(उपनिबन्धन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की सूचना) पर पट्टा विलेख निष्पादन हेतु खान अधिकारी द्वारा 07 दिन में तैयार किया जोयगा।

21– खनन पट्टा विलेख जिलाधिकारी द्वारा 15 दिन में निष्पादित किया जायेगा।

22– जिलाधिकारी से पट्टा निष्पादन के उपरान्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सफल निविदाकार के व्यय पर होगा।

23– पट्टे की अवधि की सगणना पट्टा विलेख पंजीयन की दिनांक से की जायेगी।

24– यथास्थिति ,खान अधिकारी द्वारा क्षेत्र के मानचित्र सहित पट्टा विलेख की एक प्रति उसके निष्पादन के उपरान्त पंजीकरण की दिनांक के 15 दिन के भीतर, निदेशक को भेजी जायेगी तथा मूल प्रति खान अधिकारी के कार्यालय में संरक्षित रहेगी। पट्टाधारक एक सत्यप्रति अपने पास रखेगा।

25– किन्ही कारणों से जिन–जिन क्षेत्रों का राज्य सरकार की अनुमति के उपरान्त जिलाधिकारी या मण्डल आयुक्त द्वारा क्षेत्र के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज की जाती है जिसमें आवेदक की ओर से कोई गलती नहीं होने की दशा में निदेशक की अनुमति के उपरान्त शासन द्वारा वापस ली जायेगी। ऐसी परिस्थिति में स्वीकृत जमा प्रतिभूति राशि तथा अग्रिम किस्त आवेदक को दो माह के अन्तर्गत वापस

कर दी जायेगी। यदि निकासी हुई हो तो तद्नुसार निविदित मूल्य के अनुरूप आगणन कर धनराशि जमा करायी जायेगी।

26– खनन पट्टाधारक की मृत्यु की दशा में केवल परिवार के विधिक वारिस को खनन पट्टा के अवशेष अवधि हेतु हस्तान्तरित होगा।

27– खनन पट्टा धारक द्वारा जमा आगामी छः माह की किस्त तथा देयक राज्य सरकार को भुगतान कर समपर्ण स्वीकार करेगा यदि पट्टाधारक का आचरण नियमानुसार उपयुक्त रहा हो:–

(क) खनन पट्टाधारक यथा अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में नियमित रहा हो।

(ख) वह खनन परिहार की शर्तो के अनुसार प्रगतिशील योजना के लिए अपेक्षित कदम उठाये हो।

(ग) वह ऐसे आवेदन करने की तिथि तक सरकार के किन्हीं देयकों के भुगतान में चूक नहीं की है तथा नोटिस अवधि की समाप्ति की तिथि तक सभी देयकों के भुगतान का जिम्मा या तो अग्रिम नगदी में या प्रतिभूति या दोनों के समायोजन के रूप में देता है।

28– खनिज परिहार धारक को नियमावली के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–11 पर खनिज की निकासी करनी होगी।

29– परिवहन प्रपत्र एम0एम0–11 की पुस्तिका निर्धारित शुल्क जमा कर खान अधिकारी/खान निरीक्षक से प्राप्त किया जायेगा।

30– खनिज परिहार धारक को खनन पट्टा क्षेत्रफल तथा निर्धारित मात्रा के आधार पर खान अधिकारी द्वारा एक समय में अग्रिम जमा के सापेक्ष एम0एम0–11 की पुस्तिकायें निर्गत की जायेगी। जिसका समायोजन खनिज परिहार धारक द्वारा प्रस्तुत करने के उपरान्त ही आगामी पुस्तिकाओं का विवरण अग्रिम किस्त जमा कर किया जोयगा।

31– वर्षा ऋतु में (अर्थात 15 जू से 30 सितम्बर तक) खनन/चुगान की संक्रियायें स्थगित रहेंगी। परन्तु समस्त देयक यथावत देय होगें।

32 (1) खनिज परिहार धारक पूर्ववर्ती मास के सम्बन्ध में आगामी माह के प्रथम सप्ताह में प्रपत्र एम0एम0–12 में खान अधिकारी को मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) जब कभी भी परिहार धारक बिन्दु–01 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है तो वह रू0 400.00 की शास्ति का भागी होगा।

(3) खनिज परिहार धारक खनन कार्यो में लगाये जाने वाले सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के विधि द्वारा स्थापित कानून का पालन करते हुए विवरण प्रस्तुत करेगा।

(4) समस्त परिहार धारक खान नियमावली–1955 के अन्तर्गत प्रख्यापित प्रपत्रों के अनुसार दैनिक उपस्थिति पुस्तिका तैयार करेगा और सक्षम अधिकारी को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक त्रैमास में खान में लगाये गये श्रमिकों का नाम पता सहित राज्य सरकार के श्रम मंत्रालय के जनपद स्तरीय अधिकारी एवं खान अधिकारी को प्रत्येक त्रैमासिक सूचना आगामी 07 दिनों में उपलब्ध करायेगा।

(5) बिन्दु–01 के आधीन जमा विवरणियों के आधार पर आगणन अधिकारी(खान अधिकारी) द्वारा प्रत्येक त्रैमास में एक तिथि निर्धारित कर खनिज परिहार धारक से खनिज उत्पादन खनिज निकासी खनिज उपयोग एवं खनिज भण्डारण विक्रय के बिल श्रमिकों की उपस्थिति भुगतानों एवं अन्य लेखा पुस्तकों को परीक्षण एवं निरीक्षण हेतु निर्धारित की जायेगी।

(6) यदि खनिज परिहार धारक द्वारा बिन्दु'01 के अधीन जमा विवरणी त्रुटिपूर्ण प्रतीत होते हैं तो आगणन अधिकारी जैसा उचित समझे जॉच कर जमा की जाने वाली राजस्व का खनिज परिहार धारक को युक्ति युक्त अवसर प्रदान करते हुए निर्धारण कर सकता है।

(7) बिन्दु–04 के अधीन जॉच हेतु आगणन अधिकरी 15 दिन का नोटिस देते हुए खनिज परिहार धारक को स्वयं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि(जिसको उक्त तिथि हेतु अधिकृत खनिज धारक द्वारा लिखित में किया जाय) को उपस्थित होकर विगत पॉच वर्षो के लेखे वही उत्पादन निकासी के आकड़ों सहित प्रस्तुत कर अभिलेखों की पुष्टि करायेगा।

(8) बिन्दु–05 के अधीन जॉचोपरान्त आगणन अधिकारी समस्त पहलुओं का परीक्षण एवं साक्ष्य के अनुसार राजस्व भुगतान के आदेश अपने स्तर से ऊपर के स्तर के विभागीय खनन प्रशासन के अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त आदेश निर्गत करेगा।

(9) यदि खनन परिहार धारक आगणन अधिकारी द्वारा आगणित किये गये आकंलन से संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिन के अन्दर निम्नलिखित आधारों हेतु आगणन अधिकारी के समक्ष पुनः आगणित किये गये आकंलन को पुर्नविचार हेतु प्रस्तुत कर सकता है।

(क) खनिज परिहार धारक को आगणन के नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) खनिज परिहार की युक्ति युक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

यदि आगणन अधिकारी खनिज परिहार धारक की उक्त बातों से संतुष्ट होता है तो पुनः आगणन उपरोक्त वर्णित प्रतिकिया के आधार पर कर सकता है।

यदि आगणन अधिकारी पुनः आगणन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो वह पुनः आगणन प्रारम्भ कर सकता है।

(10) यदि किसी कारणवश किसी वर्ष में खनन परिहार क्षेत्र से खनिज की निकासी अधिक करके कम राजस्व का भुगतान किया गया हो या रायल्टी की चोरी की गयी हो तो आगणन अधिकारी नोटिस देकर पुनः आगणन प्रारम्भ कर सकता है।

33. क्षेत्र में खनन/चुगान की अनुमति State Lavel Environment Assessment Authority Uttarakhand द्वारा प्रदत्त अनुमति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश, मा0 उच्चतम न्यायालय या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम–1957 तथा उसके अन्तर्गत प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001, उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2005, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय,उत्तराखण्ड, जिलाधिकारी, खान अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनतर्गत होगी। खनन पट्टा धारक को उपरोक्तानुसार दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा।